मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 20–18/2010/बी–ग्यारह **भोपाल, दिनांक 19/02/2014**

प्रति,

1. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश
2. समस्त उप संचालक रोजगार, जिला रोजगार कार्यालय, मध्यप्रदेश
3. समस्त जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार कार्यालय, मध्यप्रदेश

विषय :– **वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की सेवा क्रमांक 20.5 रोजगार कार्यालय में पंजीयन के नवीनीकरण के संबंध में।**

संदर्भ :– **लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2–13/2012/61/लोसेप्र/पीएसजी–20 दिनांक 10 अप्रैल, 2013**

1. **सेवा का उद्देश्यः–** इस सेवा का उद्देश्य वैतनिक रोजगार/स्वरोजगार हेतु किए गए बेरोजगारों के पंजीयन का नवीनीकरण करना है।

2. **पदाभिहित अधिकारी एवं समय–सीमा–** इस सेवा के लिये पदाभिहित अधिकारी जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार कार्यालय होंगे। यह सेवा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 1 कार्य दिवस के अंदर दी जायेगी।

3. **आवेदन का प्रारूपः–** आवेदन का प्रारूप नहीं है। आवेदक को पूर्व में जारी मूल पहचान पत्र (एक्स–10) के साथ व्यक्तिगत उपस्थिति अथवा डाक द्वारा सामान्य आवेदन पत्र का प्रेषण।

4. **पात्रता की शर्तेंः–**

   संबंधित जिला रोजगार कार्यालय की जीवित पंजी पर वैध पंजीयन होना।

5. **आवश्यक दस्तावेजः–**

   नवीनीकरण हेतु मूल पहचान पत्र (एक्स–10)।

6. **पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–**

   6.1 सेवा प्राप्त करने के लिये कंडिका 3 बताये अनुसार संलग्न प्रारूप एवं कंडिका–5 में दर्शाये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी (जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार कार्यालय) के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

6.2 आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत संलग्न प्रारूप में दी जावेगी।

6.3 पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय–सीमा का उल्लेख किया जावेगा। यदि आवेदन अपूर्ण हैं तो समय–सीमा का उल्लेख नहीं किया जायेगा परंतु जो आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं उनका उल्लेख अभिस्वीकृति में किया जावेगा।

6.4 आवेदन लेते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर का उल्लेख भी कराया जावेगा, ताकि आवश्यकतानुसार एसएमएस अलर्ट किया जा सके।

6.5 आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम–16 में निर्धारित पंजी में संलग्न प्रपत्र–5 में किया जायेगा। एक ही आवेदन का पृथक–पृथक पंजियों में इन्द्राज आवश्यक नहीं होगा।

6.6 संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर यथाशीघ्र परंतु निर्धारित समय–सीमा में आवेदन का निराकरण किया जावेगा।

6.7 आवेदन पत्र अस्वीकृत करने की स्थिति में भी सूचना कारण सहित आवेदक को लिखित में दी जावेगी।

7. लोक सेवा केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

8. आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया–

8.1 आवेदक द्वारा अपना आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

8.2 पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कंडिका–6 अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे।

8.3 पदाभिहित अधिकारी द्वारा मूल पहचान पत्र (एक्स–10) का परीक्षण किया जायेगा।

8.4 परीक्षण पश्चात नवीनीकरण की कार्यवाही विभाग की वेबसाईट www.mprojgar.org पर तत्काल/उसी दिवस को नवीनीकरण किया जावेगा।

8.6 यदि कतिपय कारणों से आवेदक **रोजगार कार्यालय में पंजीयन के नवीनीकरण** किया जाना संभव नहीं है ,तो ऐसे आवेदन पत्र को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने का आदेश डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा पदाभिहित अधिकारी द्वारा पारित किया जावेगा, इस तरह जारी होने वाली समस्त सूचनाओं की एक डिजीटल रिपोजटरी , वेबसाईट (www.mpedistrict.gov.in) पर संधारित की जायेगी। यह कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा में ही संपादित की जाएगी।

9. शुल्क– इस सेवा को प्राप्त करने के लिये कोई प्रशासनिक शुल्क देय नहीं है।

10. **आदेश/निर्देशों का निरसन/अधिक्रमण**–उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा सिटीजन चार्टर में संशोधन संबंधी जारी निर्देश क्रमांक एफ 20–37/97/बी/ग्यारह, दिनांक 11.01.2010 को निरसित/अधिक्रमित किया जाता है।

11. **अपील**–आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा :–

(1) पदाभिहित अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट होने पर।

अथवा

(2) आवेदन का निराकरण समय–सीमा में न होने पर।

अपील निम्नानुसार की जा सकेंगी–

(1) **प्रथम अपील** – पदाभिहित अधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आदेश प्राप्ति दिनांक से 30 दिवस में संबंधित संभाग स्तरीय जिला रोजगार कार्यालय के उप संचालक रोजगार को होगी जो 15 कार्य दिवस में अपील का निराकरण करेंगे।

(2) **द्वितीय अपील** – प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील उद्योग आयुक्त, म0प्र0 को प्रस्तुत की जाएगी।

(एम0एस0 सोलंकी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ. क्रमांक एफ 20–18/2010/बी–ग्यारह **भोपाल, दिनांक 19/02/2014**

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल। प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन विभाग।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

(एम0एस0 सोलंकी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग